सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला – अजमेर (राज.)

राजस्व वाद संख्या – 1782/2017

पीठासीन अधिकारीः– श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

हकीम पुत्र सुल्तान बक्ष जाति मुसलमान (डाढी) निवासी उगानखेडा तहसील केकड़ी जिला अजमेर

वादी

बनाम

1. रज्जाक पुत्र सुल्तान बक्ष जाति मुसलमान (डाढी) निवासी उगानखेडा तहसील केकड़ी जिला अजमेर
2. राज. सरकार जरिये तहसीलदार भू.अ. केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,92ए,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः–21.06.2018

पत्रावली आज केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प सरसड़ी में पेश हुई। वादी/प्रतिवादीगण उपस्थित। उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा **53,92ए,209**,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादी की वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम उगानखेडा तहसील केकडी जिला अजमेर के जमाबन्दीसम्वत 2070–73 के खाता स. 140 की आराजी खसरा नम्बर 199 रकबा 1.21 हैक्ट. भूमि वादी व प्रतिवादीस. 1 की पुश्तैनी आराजीयात है। जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी स. 1 का 1/2 हिस्सा है एवं अपने अपने हिस्से अनुसार काश्त करते आ रहे है। प्रतिवादी स. 1 की नियत बद है जो वादग्रस्त आराजीयात के मूल्यवान हिस्से को अन्य व्यक्ति के नाम बेचान व हस्तान्तरण कर बेदखल करने पर आमादा है। जिस कारण वादी द्वारा उक्त वाद प्रस्तुत किया है जिसे स्वीकार फरमाया जावें।

हमने वादी का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी स. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री इमदाद अली ने पावर पेश किया। पत्रावली आज केम्प कोर्ट सरसडी में पेश हुयी। वादी/प्रतिवादीगण उपस्थित।

हमने पत्रावली व दस्तावेजों का अवलोकन किया। उपस्थित पक्षकारान को सुना। वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादी स. 1 की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात होने से वाद का संतुलन वादी के पक्ष में है तथा वादी का वाद प्रेमाफेसाई केस होना जाहिर होता है।

अतः वादी का दावा वाके ग्राम उगानखेडा तहसील केकडी जिला अजमेर के जमाबन्दीसम्वत 2070–73 के खाता स. 140 की आराजी खसरा नम्बर 199 रकबा 1.21 हैक्ट. भूमि का मुताबिक जमाबन्दी में दर्ज हिस्से एंव मौके अनुसार बंटवारा किये जाने हेतु स्वीकार कर वादी का दावा डिक्री किया जाता है। तहसीलदार केकड़ी को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी का मुताबिक जमाबन्दी में दर्ज हिस्से एवं मौके अनुसार बंटवारा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा, ट्रेस के तैयार कर न्यायालय हाजा में पेश करें। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी